न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बाबूसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राव निवासी कारोली, तहसील आबूरोड		1. वक्ता पुत्र सांखला जाति रेबारी निवासी आमथल तहसील आबूरोड 2. तहसीलदार आबूरोड

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 25/2019

दिनांक: 23-01-2020

निर्णय

यहकि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आमथला के खसरा नंबर 804, 805, 814 किता तीन कुल रकबा 03 बीघा 08 विस्वा की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की खसरा संख्या 804 की जोत मे स्थित नलकूप से अपने खसरा संख्या 814 की जोत मे सिंचाई हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 803 की जोत मे से होकर पानी की भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है क्योकि प्रार्थी के खसरा संख्या 804 व 814 के बीच मे अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 803 की 02 बीघा 06 विस्वा कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अक्सर खसरा संख्या 803 की जोत पर बनी पानी की वेल को तोड दिया जाता है जिससे प्रार्थी अपने खसरा संख्या 814 की जोत पर सिंचाई नहीं कर पाता है और उसके फलस्वरूप प्रार्थी की फसल पानी के अभाव मे नष्ट हो जाती है इसलिये अप्रार्थी संख्या एक के खसरा संख्या 803 की भूमि मे से पानी की भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान करवाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जो बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत।

अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथन को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि यदि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के अन्दर से पाईप डालकर पानी ले जाने की अनुमति प्रार्थी को दी जाती है। तो अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार नष्ट हो जायेगे अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करवाने का कथन किया है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 804 मे स्थित नलकुप से खसरा संख्या 814 की जोत मे सिंचाई हेतु अप्रार्थी संख्या एक के खसरा नंबर 803 की कृषि भूमि की माट के लगते हुए खसरा नंबर 806 एवं 813 के लगते हुए संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से अंकित ए से बी अनुसार पांच फिट गहरी पाईप डालकर पानी ले जाने की अनुमति दी जानी उचित प्रतित होती है। क्यू की इससे ना तो 803 के द्वारा दर्ज आपत्ति अनुसार 803 पर विपरित प्रभाव पडता है साथही प्रार्थी अधिवक्ता की आरे से भी इसमे सहमति दर्शाई गई है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा आमथला के खसरा नंबर 804 मे स्थित नलकुप से खसरा संख्या 814 की जोत मे सिंचाई हेतु अप्रार्थी संख्या एक के खसरा नंबर 803 की कृषि भूमि की माट के लगते हुए खसरा नंबर 806 एवं 813 के लगते हुए संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से अंकित ए से बी अनुसार पांच फिट गहरी पाईप डालकर पानी ले जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/1/20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.02.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested